l j; jk;

42, जे. रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर–831001 • 402, लोटस अपार्टमेंट, डोरण्डा, राँची–834002
दूरभाष : 0657–2249255, 0651–2482701, मोबाईल : 9431114466, ई–मेल : saryuroy@gmail.com

पत्रांक : 17/11 *दिनांक : 10.02.2011*

सेवा में,
ekuuh; e[;e=h
झारखंड, राँची ।

विषय : टाटा लीज नवीकरण समझौता (2005) के अनुरूप जमशेदपुर में नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

आपको मालूम है कि झारखंड सरकार और टाटा स्टील लि. के बीच 20 अगस्तर 2005 को लीज नवीकरण समझौता हुआ था। इस समझौता में उल्लेख है कि ''टाटा स्टील जमशेदपुरवासियों को उच्च स्तरीय नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराएगा। इन सुविधाओं की एवज में होने वाले पूंजीगत और राजस्व व्यय का वहन भी टाटा स्टील को करना है। इसके लिए टाटा स्टील नागरिकों से शुल्क ले सकता है। मगर इस शुल्क की दर राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका अधिनियम के तहत निर्धारित दर से अधिक नहीं हो सकती है।''

टाटा स्टील द्वारा लीज समझौता के अनुसार जमशेदपुरवासियों को जो नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराई जानी है, उन सुविधाओं में स्वास्थ्य, कल्याण, अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, पशु अस्पताल, परिवार नियोजन, बाल कल्याण केन्द्र, कचरा भंडार केन्द्र, सीवेज निपटान प्रणाली, सड़कें, पार्क, गार्डेन, लेक, खेल के मैदान, स्टेडियम, सामुदायिक एवं सामाजिक कल्याण केन्द्र, डेयरी, मुर्गीपालन केन्द्र, पिकनिक स्पॉट, विद्युत उपकेन्द्र, बिजली आपूर्ति के लिए ट्रांसमिशन लाईन, टेलीफोन लाइन, नागरिक सुविधाओं के प्रशासन के लिए कार्यालय व भवन, स्कूले तथा तकनीकी संस्थान व होस्टल आदि शामिल है।

उपर्युक्त सुविधायें सामान्य रूप से वही नागरिक सुविधायें हैं जिन्हें उपलब्ध कराने का दायित्व अन्य शहरों में संबंधित शहरी निकायों का है और जिसका जिक्र बिहार एण्ड उड़ीसा म्युनिसपल एक्ट में है जिसे झारखंड सरकार ने अंगीकार किया है। सांवैधानिक नगर निकाय का दायित्व नागरिक सेवाओं के रूप में सामान्यतः शहर में सड़कों का निर्माण, स्ट्रीट लाईट्स का प्रबंध, सार्वजनिक नालियों का निर्माण, सिवेज सिस्टम, सार्वजनिक शौचालयों एवं मूत्रालयों का निर्माण एवं उनका रख–रखाव, पीने का पानी, खाना पकाने का पानी, नहाने एवं कपड़ा धोने का पानी की व्यवस्था करना, धोबी घाट का निर्माण, दुधारू मवेशियों के लिए चारागाह, डेयरी एवं डेयरी मैन (ग्वालों) के लिए भूमि की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं टीकाकरण की व्यवस्था, विद्यालयों का संचालन, गार्डेन, पार्क, लेक, खेल के मैदान, स्टेडियम, सामुदायिक एवं सामाजिक कल्याण केन्द्रों का निर्माण आदि का है। सार्वजनिक पानी की सप्लाई के लिए नगरपालिका द्वारा पाइप लाइन एवं मुख्य पाइप की संरचना, वाटर टावर, रिर्जवायर आदि का निर्माण कराया जाना है। टाटा स्टील एवं राज्य सरकार के बीच 2005 में जो लीज समझौता हुआ है, उसमें भी इसी प्रकृति की म्युनिसिपल/नागरिक सुविधाओं का उल्लेख है।

बिहार एण्ड उड़ीसा म्युनिसिपल एक्ट में नागरिक सुविधाओं के लिए सेवा शुल्क निर्धारित करने का

अधिकार नगरपालिका के कमिश्नर्स को दिया हुआ है। परंतु टाटा स्टील द्वारा उपलब्ध कराई जा रही नागरिक सुविधाओं का शुल्क किस भांति निर्धारित होता है, इसकी जानकारी नहीं मिलती। नागरिक सुविधायें प्राप्त करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। इन्हें उपलब्ध कराने में क्षेत्रवार भेदभाव नहीं होना चाहिए। परंतु जमशेदपुर में टाटा स्टील द्वारा क्षेत्रवार उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं में समरूपता और पारदर्शिता का अभाव प्रतीत होता है। यहाँ तक की जमशेदपुर के लिए इनका कोई एक ''टाउन ऑफिस'' भी नहीं है, जहाँ लोग फरियाद कर सके और अपनी कठिनाईयाँ बता सके। साथ ही पूरे वर्ष के लिए कोई ऐसी योजना का प्रावधान नहीं है जिससे पता चले कि वर्ष भर में कौन सा कार्य इनके द्वारा किस क्षेत्र में किया जाएगा। साथ ही यह भी पता नहीं चल पाता कि वर्ष विशेष में इनके द्वारा नागरिक सुविधाओं पर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के मद में कितनी राशि व्यय की जा रही है और शुल्क वसूली के मद में क्या प्राप्तियाँ हो रही है।

इस संबंध में मैंने 20 अगस्त 2009 को टाटा स्टील के तत्कालीन प्रबंध निदेशक को और 19 अगस्त 2010 को टाटा स्टील के वर्तमान प्रबंध निदेशक को स्मार पत्र दिया था। परंतु इन दोनों में स्मार पत्रों के बारे में बातचीत करना तो दूर, इनकी प्राप्ति–स्वीकृति की औपचारिकता निभाने का शिष्टाचार बरतने का कष्ट भी नहीं किया। स्पष्ट है कि टाटा स्टील के अधिकारी इस विषय में संवाद से कतरा रहे हैं। टाटा लीज नवीकरण समझौता 2005 में टाटा स्टील द्वारा नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख है, परंतु इसकी देख–रेख के लिए कोई नियामक प्रावधान नहीं है। इसका लाभ उठा कर टाटा स्टील प्रबंधन अपनी मनमानी चला रहा है और इस बारे में स्वयं को किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं मान रहा है।

जमशेदपुर में एक ओर धनाढ्य एवं शीर्ष अधिकारियों की रिहायश वाला इलाका है तो दूसरी ओर सब–लीज वाला मध्यम वर्गीय तथा कम आय वर्ग वाले एवं वंचित समुदाय के लोगों का निवास क्षेत्र भी है। आप सहमत होंगे कि नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए ऐसे सभी को एक ही डंडे से नहीं हांका जा सकता। राज्य सरकार को इस बारे में हस्तक्षेप करना चाहिए कि नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के संदर्भ में टाटा स्टील का आचरण लीज समझौता की भावना और राज्य के नगरपालिका कानूनों के अनुरूप होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि तत्काल एक नियामक संगठन का गठन सरकार करे ताकि नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधायें पारदर्शी तरीका से उपलब्ध हो सकें।

अनुरोध है कि इस बारे में आप अपने स्तर से त्वरित कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

सधन्यवाद,

भवदीय

¼l j ;l jk ;½
पूर्व विधायक